बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

संकल्प

विषयः- ग्रामीण सड़कों के रखरखाव हेतु ''बिहार ग्रामीण पथ अनुरक्षण नीति–2013'' के संबंध में।

ग्रामीण पथों की कुल लम्बाई–1,22,598 कि०मी० है, जिसमें से विभाग द्वारा विभिन्न योजना के तहत लगभग 42200 कि०मी० ग्रामीण पथों का निर्माण किया जा चुका है एवं मार्च–2018 तक लगभग 50,000 कि०मी० अतिरिक्त पथ का निर्माण किये जाने का लक्ष्य है। इस प्रकार मार्च–2018 तक कुल निर्मित पथों की लम्बाई 86258 कि०मी० होगी।

पथ का निर्माण गुणवत्ता पूर्ण होने पर भी भू–भाग, मिट्टी, जलवायु एवं पथ में होने वाले सामान्य Wear & Tear आदि के कारणों से अनुरक्षण की आवश्यकता पड़ती है। यदि ससमय इन पथों की आवश्यक मरम्मति कर ली जाय तो अल्प राशि के व्यय से ही इन पथों को सुरक्षित एवं आवागमन योग्य रखा जा सकता है। इस प्रकार सामान्य अनुरक्षण कार्य कर लोक निधि पर होने वाले अतिरिक्त बोझ को कम किया जा सकता है।

पथों की स्थिति जर्जर होने से आवागमन भी बाधित होता है तथा इस कारण उस क्षेत्र के उत्पाद को बाजार तक पहुँचाने में उत्पन्न व्यवधान के कारण आर्थिक गतिविधि (Economic Activities) प्रभावित होने के साथ–साथ वाहनों के Operating Cost में भी वृद्धि हो जाती है। अतः विकास की गति को बनाये रखने में ससमय सड़कों की उचित मरम्मति एवं रखरखाव की प्रासंगिकता और भी बढ़ जाती है।

राज्य सरकार द्वारा सम्यक विचारोपरांत निम्नलिखित निर्णय लिये गये हैं:–

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रभावी तिथि**– इस नीति को **''बिहार ग्रामीण पथ अनुरक्षण नीति–2013''** के नाम से जाना जायेगा। इसका विस्तार क्षेत्र संपूर्ण बिहार में विभिन्न योजनाओं के तहत निर्मित एवं निर्माणाधीन ग्रामीण पथ होगा। इसे वित्तीय वर्ष 2014–15 से लागू किया जायेगा।

2. **अनुरक्षण हेतु पथों का श्रेणीकरण**

इस नीति के अंतर्गत पथों का श्रेणीकरण निम्न प्रकार किया जायेगा।

2.1 **श्रेणी–1**

2.1.1 अनुमंडल कार्यालय को जिला मुख्यालय से जोड़ने वाली ग्रामीण पथ।

2.1.2 प्रखंड कार्यालय को अनुमंडल कार्यालय से जोड़ने वाली ग्रामीण पथ।

2.1.3 रेलवे स्टेशन/मुख्य बस पड़ाव को जोड़ने वाली ग्रामीण पथ।

2.1.4 दो RCD सड़को (यथा NH, SH, MDR) के बीच Link Road

2.1.5 दर्शनीय स्थल को जोड़ने वाली ग्रामीण पथ।

2.1.6 Through Route वाली ग्रामीण पथ।

2.2 **श्रेणी–2**

श्रेणी–1 के अतिरिक्त शेष ग्रामीण पथ श्रेणी–2 में सम्मिलित किया जाएगा।

3. अनुरक्षण कार्य प्रणाली

3.1 Input आधारित अनुरक्षण

वर्त्तमान व्यवस्था के अन्तर्गत पथ संरचनाओं के अनुरक्षण कार्यों के लिए समान्यतः Input-based संविदा प्रणाली अपनायी जाती है। इस प्रणाली में विभाग द्वारा नियत विशिष्टियों एवं मात्रा के अनुसार, संवेदक द्वारा कार्य सम्पादित किया जाता है एवं ऐसे कार्यों का भुगतान निर्धारित दरों के आधार पर किया जाता है।

3.2 Output एवं Performance आधारित अनुरक्षण

नई व्यवस्था Output एवं Performance-based होगी, जिसके तहत् पथ के विभिन्न अवयव यथा– Road crust, Shoulder, Rain cut in slope, Side drain, Cross Drainage work, Road furniture इत्यादि को लगभग नये जैसा बनाये रखने के लिए output के रूप में Service level तय की जायेगी, जिसे एक निर्धारित Response time में पूरा किया जायेगा। महत्वपूर्ण पथों का अनुरक्षण Output एवं Performance based संविदा प्रणाली पर आधारित होगी। संविदा सामान्यतः पाँच वर्षों की अवधि के लिए की जायेगी। आवश्यकतानुसार संविदा की अवधि भिन्न भी हो सकती है। अनुरक्षण कार्य का निष्पादन संतोषजनक होने की स्थिति में, संविदा विस्तारित की जायेगी। इसी तरह निष्पादन संतोषजनक नहीं होने की स्थिति में संविदा विखंडित की जायेगी। नई व्यवस्था वैसे पथों के लिए ही की जायेगी जिसमें सामान्य अनुरक्षण की एकरारित अवधि (5 वर्ष) समाप्त हो गयी हो अथवा सामान्य अनुरक्षण का प्रावधान नही किया गया हो।

4. अनुरक्षण का प्रकार

4.1 **सामान्य मरम्मति (Routine Maintenance):** सामान्य मरम्मति के रूप में सड़क के Crust अंश मे हुई क्षति यथा– patch repair, pot holes, पथ के फ्लैंक, पथ में अवस्थित पुल/पुलियों एवं पथ पर लगाये गये Road Furniture आदि का अनुरक्षण कार्य।

4.2 **सावधिक रख–रखाव (Periodic Maintenance):** सड़क के सावधिक रख–रखाव (Periodic Maintenance) में सड़क के कालीकृत सतह नवीकरण (Surface Renewal) का कार्य।

4.3 **आकस्मिक रख–रखाव (Emergent Repair):** प्राकृतिक आपदा यथा–बाढ़, अतिवृष्टि एवं अन्य आकस्मिक कारणों से पथों एवं पुल/पुलियों में हुई क्षति का Short period मे मरम्मति कार्य।

4.4 **विशेष मरम्मति (Special Repair):** ग्रामीण सड़कों पर भारी वाहन एवं अन्य कारणों से पथों एवं पुल/पुलियों के मूल संरचना में हुई क्षति की मरम्मति कार्य।

5. अनुरक्षण चक्र

5.1 कालीकृत पथ का निरूपण अवधि (Design Life) दस वर्ष होता है। अतः सभी निर्मित पथों का अनुरक्षण पाँच वर्षों के चक्र में किया जायेगा।

5.2 सामान्यतः दो चक्र में अनुरक्षण कार्य किया जायेगा।

5.3 आवश्यकतानुसार अनुरक्षण चक्र में बदलाव किया जा सकेगा।

6. प्राथमिकता का निर्धारण

6.1 श्रेणी–1 के पथों के लिए प्रस्ताव करते समय 3 मानकों के आधार पर निम्नवत् अंक प्रदान किये जायेंगे। अंक समान होने की स्थिति में कुल लाभान्वित जनसंख्या (प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष) को प्राथमिकता दी जायेगी।

6.1.1 पथों का प्रकार– (35 अंक)

श्रेणी–1 मे सम्मिलित पथ	अंक
अनुमंडल कार्यालय को जिला मुख्यालय से जोड़ने वाली ग्रामीण पथ।	35
प्रखंड कार्यालय को अनुमंडल कार्यालय से जोड़ने वाली ग्रामीण पथ।	30
रेलवे स्टे ान को जोड़ने वाली ग्रामीण पथ।	25
दो RCD सड़को (यथा NH, SH, MDR) के बीच Link Road	20
द नीय स्थल को जोड़ने वाली ग्रामीण पथ।	15
Through Route वाली ग्रामीण पथ।	10

Rajendra

6.1.2 निर्मित पथ की अवधि– (35 अंक)

पथ निर्माण के पश्चात् की अवधि	अंक
10 वर्ष से अधिक अवधि	35
9 (वर्ष से अधिक)– 10 वर्ष	30
8 (वर्ष से अधिक)– 9 वर्ष	25
7 (वर्ष से अधिक)– 8 वर्ष	20
6 (वर्ष से अधिक)– 7 वर्ष	15
5 (वर्ष से अधिक)– 6 वर्ष	10
5 एवं 5 वर्ष से कम	5

6.1.3 पथ की लम्बाई–(30 अंक)

लम्बाई (कि0मी0 में)	अंक
10.0 कि0मी0 से अधिक लम्बा पथ	30
7.50 कि0मी0 से अधिक–10.0 कि0मी0 तक लम्बा पथ	25
5.0 कि0मी0 से अधिक–7.50 कि0मी0 तक लम्बा पथ	20
2.5 कि0मी0 से अधिक–5.0 कि0मी0 तक लम्बा पथ	15
1.0 कि0मी0 से अधिक–2.5 कि0मी0 तक लम्बा पथ	10
1.0 कि0मी0 तक लम्बा पथ	5

6.2 **श्रेणी–2** के पथों के लिए प्रस्ताव करते समय 2 मानकों के आधार पर निम्नवत् अंक प्रदान किये जायेंगे। अंक समान होने की स्थिति में कुल लाभान्वित जनसंख्या (प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष) को प्राथमिकता दी जायेगी।

6.2.1 निर्मित पथ की अवधि– (60 अंक)

पथ निर्माण के पश्चात् की अवधि	अंक
10 वर्ष से अधिक अवधि	60
9 (वर्ष से अधिक)– 10 वर्ष	50
8 (वर्ष से अधिक)– 9 वर्ष	40
7 (वर्ष से अधिक)– 8 वर्ष	30
6 (वर्ष से अधिक)– 7 वर्ष	20
5 (वर्ष से अधिक)– 6 वर्ष	10
5 एवं 5 वर्ष से कम	05

6.2.2 पथ की लम्बाई–(40 अंक)

लम्बाई (कि0मी0 में)	अंक
7.50 कि0मी0 से अधिक लम्बा पथ	40
5.0 कि0मी0 से अधिक–7.50 कि0मी0 तक लम्बा पथ	35
4.0 कि0मी0 से अधिक–5.0 कि0मी0 तक लम्बा पथ	30
3.0 कि0मी0 से अधिक–4.0 कि0मी0 तक लम्बा पथ	25
2.0 कि0मी0 से अधिक–3.0 कि0मी0 तक लम्बा पथ	20
1.0 कि0मी0 से अधिक–2.0 कि0मी0 तक लम्बा पथ	15
1.0 कि0मी0 तक लम्बा पथ	10

6.2.3 उपरोक्त आधार पर **श्रेणी–1** एवं **श्रेणी–2** के लिए प्रखंडवार प्रस्तावित प्राथमिकता सूची, योजना के चयन का आधार होगा।

6.2.4 जिला मुख्यालय, अनुमंडल कार्यालय, प्रखंड कार्यालय मुख्य हाट/बाजार/दर्शनीय/ऐतिहासिक महत्व के स्थलों को जोड़ने वाले पथ के अनुरक्षण हेतु माननीय विधायक की अनुशंसा पर प्राथमिकता सूची में बदलाव किया जा सकेगा।

6.2.5 महत्वपूर्ण पथ के अनुरक्षण हेतु विभाग के द्वारा प्राथमिकता सूची में बदलाव किया जा सकेगा।

6.2.6 प्रत्येक वर्ष नवम्बर माह में प्रखण्डवार प्राथमिकता सूची (श्रेणी–1 एवं श्रेणी–2) तैयार कर मुख्यालय को उपलब्ध कराया जायेगा, ताकि अगले वर्ष की कार्य योजना दिसम्बर– माह तक तैयार किया जा सके लेकिन वितीय वर्ष 2013–2014 के लिए फरवरी–2014 तक पथों का प्राथमिकता सूची तैयार की जायेगी।

7. अनुरक्षण कार्य का क्रियान्वयन

7.1 अनुरक्षण कार्य ई–निविदा के माध्यम से किया जायेगा।

7.2 श्रेणी–1 में सम्मलित पथों के लिए Output & Performance-based संविदा प्रणाली अपनायी जायेगी।

7.3 अनुरक्षण कार्य अलग–अलग दो चक्रों में की जायेगी।

7.4 बिहार ग्रामीण पथ अनुरक्षण नीति–2013 में आवश्यक परिवर्तन मुख्यमंत्री का अनुमोदन प्राप्त कर किया जा सकेगा।

7.5 विभाग द्वारा अनुरक्षण नीति के कार्यान्वयन हेतु विस्तृत दिशा–निर्देश, एवं Standard Bidding Document for Maintenance अलग से तैयार किया जायेगा।

7.6 दिशा–निर्देश एवं Standard Bidding Document में, अनुभवों के आधार पर यथा आवश्यक संशोधन ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा किया जायेगा।

8. राशि का कर्णांकण

8.1 सर्वप्रथम **श्रेणी–1** में सम्मिलित पथों के लिए राशि कर्णांकित किया जायेगा।

8.2 पथ निर्माण के पश्चात् प्रावधानित पंचवर्शीय सामान्य अनुरक्षण हेतु राशि कर्णांकित किया जायेगा।

8.3 बची हुई राशि, **श्रेणी–2** में सम्मिलित प्राथमिकता प्राप्त पथों के लिए कर्णांकित किया जायेगा।

8.4 प्रखंड के लिए राशि का कर्णांकण प्रस्तावित पथों की प्राथमिकता सूची के आधार पर प्रखंड एवं राज्य की कुल लम्बाई के अनुपात में किया जायेगा।

8.5 बजट उपबंध से अनुरक्षण मद में प्राप्त होने वाली राशि का 10% Emergent Repair के लिए सुरक्षित रखा जायेगा।

9. विवाद का निपटारा

8.6 संविदा के अधीन उत्पन्न विवाद/विवादों का निपटारा Bihar Public Works Contracts Disputes *Arbitration* Tribunal Act, 2008 के आलोक में किया जा सकेगा।

10. आवश्यक Clarification

उपर्युक्त नीति के संबंध में किसी भी प्रकार का Clarification ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा किया जा सकेगा।

आदेशः– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण पत्र में प्रकाशित किया जाए एवं इसकी प्रतिलिपि सरकार के सभी विभागों एवं महालेखाकार, बिहार पटना को सूचनार्थ भेजी जाए।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

Rajendra 25.2.2014

(बी0 राजेन्दर)
सरकार के सचिव

ज्ञापांक– मु0अ0–4–वि0बैं0–11–35/07 533 /पटना दिनांक– 25/02/14

प्रतिलिपि– अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय गुलजारबाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेशित। अनुरोध है कि इसे बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित करते हुए इसकी पॉच सौ प्रतियॉ विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा करें।

Rajendra 25.2.2014

सरकार के सचिव

ज्ञापांक– मु0अ0–4–वि0बैं0–11–35/07 533 /पटना दिनांक– 25/02/14

प्रतिलिपि– मुख्य सचिव, बिहार/ विकास आयुक्त, बिहार/ महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव/ माननीय मुख्यमंत्री के सचिव/ सरकार के सभी विभागों के प्रधान सचिव एवं सचिव/ सभी विभागध्यक्ष/महालेखाकार, बिहार/ सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Rajendra 25.2.2014

सरकार के सचिव